प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPCDCS/2017–18/10100-75 दिनांक 29-12-17

विषय : वित्तीय वर्ष 2017–18 में मधुमेह के उपचार हेतु Insulin Neutral With Insulin Isophane 25% 75% 100IU/ml एवं Insulin Lispro 100IU/ml के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की राज्य कार्ययोजना में एफ0एम0आर0 मद सं0 बी016.2.5.1 NHM Free Drug Services पर कुल रू0 2810.00 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके अन्तर्गत Insulin हेतु रू0 1000.00 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

2. निदेशक, भण्डार, स्वास्थ्य महानिदेशालय के पत्र सं0 8फ/द0अनु0–784/2017–18/पार्ट–4/दिनांक 13/07/2016 द्वारा Insulin Neutral With Insulin Isophane 25% 75% 100IU/ml एवं पत्र सं0 8F/R.C.-784/2017-18/PART-2/1642 दिनांक 15.06.2017 द्वारा Insulin Lispro 100IU/ml का दर अनुबन्ध कर लिया गया है, (छायाप्रति संलग्न)

3. अतः भारत सरकार के अनुमोदन के क्रम में जनपदवार Insulin Neutral With Insulin Isophane 25% 75% 100IU/ml एवं Insulin Lispro 100IU/ml के क्रय हेतु कुल रू0 417.15 लाख की धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार समस्त जनपदों के जिला स्वास्थ्य समितियों के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है– Payment Advice No- 1217113103 32 Dated = 29-12-17

(Amt. in Rs.)

Sl. No.	Name of Districts	Rapid Acting (Lispro)@ Rs 358 plus 5% GST	Fund Allocated	Insulin 25/75 @ Rs. 182.40 + 5% GST	Fund Allocated	Total Fund to be released
1	Agra	1000	375900	2000	383040	758940
2	Aligarh	500	187950	2000	383040	570990
3	Allahabad	1500	563850	4000	766080	1329930
4	Ambedkar Nagar	200	75180	4000	766080	841260
5	Amethi	100	37590	1000	191520	229110
6	Amroha	200	75180	2000	383040	458220
7	Auraiya	100	37590	500	95760	133350
8	Azamgarh	500	187950	500	95760	283710
9	Badaun	200	75180	1000	191520	266700
10	Baghpat	200	75180	2500	478800	553980
11	Bahraich	100	37590	2500	478800	516390
12	Ballia	500	187950	5000	957600	1145550
13	Balrampur	100	37590	500	95760	133350
14	Banda	100	37590	1000	191520	229110
15	Barabanki	500	187950	2500	478800	666750
16	Bareilly	500	187950	2000	383040	570990

17	Basti	500	**187950**	1000	**191520**	**379470**
18	Bijnor	200	**75180**	1000	**191520**	**266700**
19	Buland Shahar	500	**187950**	3000	**574560**	**762510**
20	Chandauli	500	**187950**	2000	**383040**	**570990**
21	Chitrakoot	100	**37590**	1000	**191520**	**229110**
22	Deoria	500	**187950**	1000	**191520**	**379470**
23	Etah	200	**75180**	1000	**191520**	**266700**
24	Etawah	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
25	Faizabad	1000	**375900**	2000	**383040**	**758940**
26	Farrukhabad	500	**187950**	1000	**191520**	**379470**
27	Fatehpur	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
28	Firozabad	500	**187950**	2000	**383040**	**570990**
29	G.B. Nagar	500	**187950**	2000	**383040**	**570990**
30	Ghaziabad	500	**187950**	2000	**383040**	**570990**
31	Ghazipur	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
32	Gonda	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
33	Gorakhpur	1500	**563850**	2000	**383040**	**946890**
34	Hamirpur	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
35	Hapur	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
36	Hardoi	200	**75180**	1000	**191520**	**266700**
37	Hathras	100	**37590**	2000	**383040**	**420630**
38	Jalaun	500	**187950**	1000	**191520**	**379470**
39	Jaunpur	500	**187950**	1000	**191520**	**379470**
40	Jhansi	500	**187950**	2000	**383040**	**570990**
41	Kannauj	1000	**375900**	2000	**383040**	**758940**
42	Kanpur Dehat	500	**187950**	500	**95760**	**283710**
43	Kanpur Nagar	4000	**1503600**	4000	**766080**	**2269680**
44	Kasganj	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
45	Kuaushambi	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
46	Kushinagar	500	**187950**	1000	**191520**	**379470**
47	Lakhimpur	500	**187950**	2000	**383040**	**570990**
48	Lalitpur	100	**37590**	1000	**191520**	**229110**
49	Lucknow	10000	**3759000**	24000	**4596480**	**8355480**
50	Maharajganj	500	**187950**	1000	**191520**	**379470**
51	Mahoba	200	**75180**	2000	**383040**	**458220**
52	Mainpuri	200	**75180**	1000	**191520**	**266700**
53	Mathura	500	**187950**	1000	**191520**	**379470**
54	Mau	500	**187950**	1000	**191520**	**379470**
55	Meerut	1000	**375900**	2500	**478800**	**854700**
56	Mirzapur	500	**187950**	1000	**191520**	**379470**
57	Moradabad	500	**187950**	2000	**383040**	**570990**
58	MuzaffarNagar	200	**75180**	2000	**383040**	**458220**
59	Pilibhit	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
60	Pratapgarh	200	**75180**	1000	**191520**	**266700**
61	Rae Bareilly	500	**187950**	1000	**191520**	**379470**
62	Rampur	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
63	Saharanpur	500	**187950**	2000	**383040**	**570990**
64	Sambhal	100	**37590**	1000	**191520**	**229110**
65	Sant Ravidas Nagar	200	**75180**	1000	**191520**	**266700**
66	Shahjahanpur	500	**187950**	2000	**383040**	**570990**
67	Shamli	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
68	Shrawasti	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
69	Siddharth Nagar	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
70	Sitapur	500	**187950**	1000	**191520**	**379470**

71	Sonbhadra	200	**75180**	500	**95760**	**170940**
72	St. Kabir Nagar	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
73	Sultanpur	200	**75180**	1000	**191520**	**266700**
74	Unnao	100	**37590**	500	**95760**	**133350**
75	Varanasi	2500	**939750**	7000	**1340640**	**2280390**
	Total	**42700**	**16050930**	**134000**	**25663680**	**41714610**

3. आंवटित धनराशि की सीमा तक इन्सुलिन का क्रय करने हेतु सम्बन्धित फर्म को तत्काल क्रयादेश जारी करना सुनिश्चित करेंगें तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा इन्सुलिन की आपूर्ति प्राप्त होते ही भुगतान करना सुनिश्चित करेंगें।

4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी इन्सुलिन की उपलब्धता जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुनिश्चित करेगें, जिससे कि मधुमेह के रोगियों का ससमय समुचित उपचार किया जा सके।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यकम की धनराशि दूसरे कार्यकमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

9. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

13. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा

की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

<u>संलग्नक–यथोक्त</u>

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCDCS / 2017–18 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
4. निदेशक, भण्डार, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त की जा रही धनराशि एवं औषधि को डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन0पी0सी0डी0सी0एस0, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित।

(डा0 ए0 बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

(LIST 'B')

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL MEDICAL & HEALTH SERVICES

(U.P. Govt. C.M.S.D. Section-8)

Notification No.8F/R.C.-784/2017-18/ Part-2/1642

Lucknow dated: 15-06-2017
Valid upto-14-06-2018

Rate Contract of Medicines

SL No.	Drug code	Name of the firm	Name of medicines	Strength	packing unit	BASIC RATE	EXCISE DUTY	RATE+ ED	SST/VAT	TOTAL COST INCL.OF ALL TAX. FOR DESTINATION IN UP
1	I-47	*M/s Radico Remedies*	CEFTRIAXONE SODIUM	500mg	dry powder	5.73	0.34	6.08	0.30	6.38
2	I-48	-do-	CEFTRIAXONE SODIUM	250mg	dry powder	4.03	0.24	4.28	0.21	4.49
3	I-96	-do-	ONDANSETRON	2 mg/ml	4ml amp	1.20	0.07	1.28	0.06	1.34
4	I-122	-do-	TRANEXAMIC ACID	100 mg/ml	5ml amp	5.31	0.32	5.63	0.28	5.91
5	I-126	-do-	ETHAMSYLATE	125 mg/ml	10ml vial	5.65	0.34	5.99	0.30	6.29
6	I-81	*Ms Eli-Lily And Company (India) Pvt. Ltd.*	INSULIN LISPRO	100IU/ml	3ml Cartridge	358.00	0.00	358.00	17.90	375.90
7	I-83		INSULIN LISPRO WITH INSULIN PROTAMINE	50%, /50%100IU/ml	3ml Cartridge	358.00	0.00	358.00	17.90	375.90

DIRECTOR (STORES)

(LIST 'B')

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL MEDICAL & HEALTH SERVICES

(U.P. Govt. C.M.S.D. Section-8)

Notification No.8F/R.C.-784/2017-18/ Part-4/ 2415

Lucknow dated: 13-07-2017
Valid upto-12-07-2018 -

Rate Contract of Medicines

SL. No.	Drug code No.	Name of the firm	Name of medicines	Strength	packing unit	BASIC RATE	EXCISE DUTY	RATE+ ED	SST/VAT	TOTAL COST INCL.OF ALL TAX. FOR DESTINATION IN UP
1	I-76	Ms Sanofi India Ltd.	Insulin Neutral With Insulin Isophane	25%/75% 100IU/ml	3ml Cartridge	182.40	0.00	182.40	9.12	191.52
2	I-46	M/s Vivek Pharmachem India Ltd.	CEFTRIAXONE SODIUM	1 gm	dry powder	9.77	Inclusive	9.77	0.49	10.26
3	I-54		IMIPENEM WITH CILASTATIN	250 mg+250 mg	dry powder	89.44	Inclusive	89.44	4.47	93.91

DIRECTOR (STORES)

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPCDCS/2017–18/ दिनांक

विषय : वित्तीय वर्ष 2017–18 में मधुमेह के उपचार हेतु Insulin Neutral With Insulin Isophane 25% 75% 100IU/ml एवं Insulin Lispro 100IU/ml के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की राज्य कार्ययोजना में एफ0एम0आर0 मद सं0 बी016.2.5.1 NHM Free Drug Services पर कुल रू0 2810.00 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके अन्तर्गत Insulin हेतु रू0 1000.00 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

2. निदेशक, भण्डार, स्वास्थ्य महानिदेशालय के पत्र सं0 8फ/द0अनु0–784/2017–18/पार्ट–4/ दिनांक 13/07/2016 द्वारा Insulin Neutral With Insulin Isophane 25% 75% 100IU/ml एवं पत्र सं0 8F/R.C.-784/2017-18/PART-2/1642 दिनांक 15.06.2017 द्वारा Insulin Lispro 100IU/ml का दर अनुबन्ध कर लिया गया है, (छायाप्रति संलग्न)

3. अतः भारत सरकार के अनुमोदन के क्रम में जनपदवार Insulin Neutral With Insulin Isophane 25% 75% 100IU/ml एवं Insulin Lispro 100IU/ml के क्रय हेतु कुल रू0 417.15 लाख की धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार समस्त जनपदों के जिला स्वास्थ्य समितियों के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है– Payment Advice No- 121711310332 Dated - 29-12-17

(Amt. in Rs.)

Sl. No.	Name of Districts	Rapid Acting (Lispro)@ Rs 358 plus 5% GST	Fund Allocated	Insulin 25/75 @ Rs. 182.40 + 5% GST	Fund Allocated	Total Fund to be released
1	Agra	1000	375900	2000	383040	758940
2	Aligarh	500	187950	2000	383040	570990
3	Allahabad	1500	563850	4000	766080	1329930
4	Ambedkar Nagar	200	75180	4000	766080	841260
5	Amethi	100	37590	1000	191520	229110
6	Amroha	200	75180	2000	383040	458220
7	Auraiya	100	37590	500	95760	133350
8	Azamgarh	500	187950	500	95760	283710
9	Badaun	200	75180	1000	191520	266700
10	Baghpat	200	75180	2500	478800	553980
11	Bahraich	100	37590	2500	478800	516390
12	Ballia	500	187950	5000	957600	1145550
13	Balrampur	100	37590	500	95760	133350
14	Banda	100	37590	1000	191520	229110
15	Barabanki	500	187950	2500	478800	666750
16	Bareilly	500	187950	2000	383040	570990

17	Basti	500	187950	1000	191520	379470
18	Bijnor	200	75180	1000	191520	266700
19	Buland Shahar	500	187950	3000	574560	762510
20	Chandauli	500	187950	2000	383040	570990
21	Chitrakoot	100	37590	1000	191520	229110
22	Deoria	500	187950	1000	191520	379470
23	Etah	200	75180	1000	191520	266700
24	Etawah	100	37590	500	95760	133350
25	Faizabad	1000	375900	2000	383040	758940
26	Farrukhabad	500	187950	1000	191520	379470
27	Fatehpur	100	37590	500	95760	133350
28	Firozabad	500	187950	2000	383040	570990
29	G.B. Nagar	500	187950	2000	383040	570990
30	Ghaziabad	500	187950	2000	383040	570990
31	Ghazipur	100	37590	500	95760	133350
32	Gonda	100	37590	500	95760	133350
33	Gorakhpur	1500	563850	2000	383040	946890
34	Hamirpur	100	37590	500	95760	133350
35	Hapur	100	37590	500	95760	133350
36	Hardoi	200	75180	1000	191520	266700
37	Hathras	100	37590	2000	383040	420630
38	Jalaun	500	187950	1000	191520	379470
39	Jaunpur	500	187950	1000	191520	379470
40	Jhansi	500	187950	2000	383040	570990
41	Kannauj	1000	375900	2000	383040	758940
42	Kanpur Dehat	500	187950	500	95760	283710
43	Kanpur Nagar	4000	1503600	4000	766080	2269680
44	Kasganj	100	37590	500	95760	133350
45	Kuaushambi	100	37590	500	95760	133350
46	Kushinagar	500	187950	1000	191520	379470
47	Lakhimpur	500	187950	2000	383040	570990
48	Lalitpur	100	37590	1000	191520	229110
49	Lucknow	10000	3759000	24000	4596480	8355480
50	Maharajganj	500	187950	1000	191520	379470
51	Mahoba	200	75180	2000	383040	458220
52	Mainpuri	200	75180	1000	191520	266700
53	Mathura	500	187950	1000	191520	379470
54	Mau	500	187950	1000	191520	379470
55	Meerut	1000	375900	2500	478800	854700
56	Mirzapur	500	187950	1000	191520	379470
57	Moradabad	500	187950	2000	383040	570990
58	MuzaffarNagar	200	75180	2000	383040	458220
59	Pilibhit	100	37590	500	95760	133350
60	Pratapgarh	200	75180	1000	191520	266700
61	Rae Bareilly	500	187950	1000	191520	379470
62	Rampur	100	37590	500	95760	133350
63	Saharanpur	500	187950	2000	383040	570990
64	Sambhal	100	37590	1000	191520	229110
65	Sant Ravidas Nagar	200	75180	1000	191520	266700
66	Shahjahanpur	500	187950	2000	383040	570990
67	Shamli	100	37590	500	95760	133350
68	Shrawasti	100	37590	500	95760	133350
69	Siddharth Nagar	100	37590	500	95760	133350
70	Sitapur	500	187950	1000	191520	379470

71	Sonbhadra	200	75180	500	95760	170940
72	St. Kabir Nagar	100	37590	500	95760	133350
73	Sultanpur	200	75180	1000	191520	266700
74	Unnao	100	37590	500	95760	133350
75	Varanasi	2500	939750	7000	1340640	2280390
	Total	**42700**	**16050930**	**134000**	**25663680**	**41714610**

3. आंवटित धनराशि की सीमा तक इन्सुलिन का क्रय करने हेतु सम्बन्धित फर्म को तत्काल क्रयादेश जारी करना सुनिश्चित करेंगें तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा इन्सुलिन की आपूर्ति प्राप्त होते ही भुगतान करना सुनिश्चित करेंगें।

4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी इन्सुलिन की उपलब्धता जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुनिश्चित करेगें, जिससे कि मधुमेह के रोगियों का ससमय समुचित उपचार किया जा सके।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

9. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

13. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा

की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

/

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCDCS / 2017–18 / 10100-75-8 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
4. निदेशक, भण्डार, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त की जा रही धनराशि एवं औषधि को डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन0पी0सी0डी0सी0एस0, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित।

(डा0 ए0 बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0